न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0—462 सन् 2016

अमरनाथ राय.........................वादी।

बनाम

सुपन राय वगैरह..................................प्रतिवादीगण।

दिनांक— 17.10.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से प्रतिवादी सं0 06 कृष्णा राय का नाम काटने तथा उनके वारिसानों का नाम जोड़ने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 11.07.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के प्रतिवादी सं0 06 कृष्णा राय थे जिनकी मृत्यु पटना में दिनांक 30.12.2022 को अपना कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। न्यायहित में प्रतिवादी सं0 06 का नाम वादपत्र से कलमजद करना तथा उनके कानूनी वारिसानों को उनके स्थान पर प्रतिस्थापित करना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 06 का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके कानूनी वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा प्रदान की जाए। वादी की ओर से धारा—5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब माफ करने तथा एबेटमेंटस सेटेसाईट करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है।

प्रतिवादीगण की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 06 कृष्णा राय थे जिनकी मृत्यु पटना में दिनांक 30.12.2022 को अपना कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। वादी की ओर से उक्त प्रतिस्थापना आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है जिसके कारण वाद अबेट कर गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 11.07.2023 को 500/—रूपये खर्चा के साथ विलंब माफ करते हुए तथा उपसमन अपास्त करते हुए न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक.....................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।